

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF EXCISE, ENT. & LUXURY TAX,
L-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002**

No.F.1/Ex/PQ/2021-22/ 680

Dated: 24.03.2021

To,

The Deputy Secretary (Question Branch)
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Govt. of NCT of Delhi,
Old Secretariat, Delhi-110054.

Sub: Reply with respect to Un-starred Question No.105 raised by Sh. Mohan Singh Bisht.

Sir,

Please refer to your letter No.F11(B-1) VI/2020-25/VSS/QB/3168 dated 17.03.2022 on the subject cited above. I am to enclose herewith reply of the above mentioned question.

This issues with the prior approval of the Competent Authority.

Encl: As above.

ASSISTANT COMMISSIONER (PQ)

विभाग का नाम :- आबकारी विभाग, दिल्ली सरकार

विभाग का पता :- L-ब्लॉक, विकास भवन, I.T.O, I.P.Estate, Delhi -110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 105

दिनांक :- 28.03.2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री मोहन सिंह बिष्ट

क्या उपमुख्यमंत्री / मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में वार्ड अनुसार शराब के ठेके खोले गए हैं;	जी हाँ ।
(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि करावल नगर विधान सभा के अंतर्गत सोनिया विहार प्लांट के लिए जा रही पाइप लाइन के उपर एक शराब का ठेका खोला गया है;	आबकारी विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत एक दुकान निम्नलिखित पते पर खोली गयी है : खसरा न० 11, भूतल एवं अवर भूतल, आयत न० 40, किल्ला न० 11, सादतपुर एक्सटेंशन, मेन करावल नगर रोड, दिल्ली-110094
(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उस शराब के ठेके को तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है;	ऐसी कोई सूचना आबकारी विभाग में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है ।
(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा उस बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया और वहां पर शराब का ठेका खोला गया है;	उपरोक्त क्र० सं० ग के अनुसार ।
(ङ) क्या सरकार ऐसे शराब के ठेके को स्थानांतरित करेगी; और	यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायत आबकारी विभाग को प्राप्त होती है तो उस पर दिल्ली आबकारी अधिनियम-2009, दिल्ली आबकारी नियम-2010 एवं दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के अंतर्गत नियमों एवं दिशा निर्देशानुसार उचित कार्यवाही की जाएगी।
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?	उपरोक्त क्र० सं० ड० के अनुसार

हस्ताक्षर


आबकारी आयुक्त

Arava Gopi Krishna
Commissioner (Excise)